कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक / वाकआ / सांख्यिकी / वाचक / 2014 / 64   रायपुर दिनांक 07/03/15

प्रति,

1. समस्त संभागीय उपायुक्त,
   वाणिज्यिक कर, छ.ग.
2. कम्प्यूटर कक्ष मुख्यालय
   छत्तीसगढ़

विषयः– वर्ष 2009–10 तथा इसके बाद की अवधियों के सी–फार्म जारी करने की समय सीमा में वृद्धि करने बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक वा.क.आ / सांख्यिकीय / 2014 / 498 दिनांक 26 / 11 / 2014

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये। वर्ष 2009–10 की अवधि से संबंधित सी–फार्म जारी करने की समय–सीमा 28.02.2015 निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ सेल्स टेक्स बार कौंसिल द्वारा वर्ष 2009–10 तथा इसके पश्चात्वर्ती वर्षो के सी–फार्म जारी करने की समय–सीमा में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार ऑनलाईन जारी सांविधिक फार्म में त्रुटि होने पर इसमें सुधार का कोई प्रावधान नहीं है इस हेतु पूर्व में जारी किये गये सांविधिक फार्म को निरस्त करना होता है, इसके उपरांत ही नवीन सांविधिक फार्म जारी किया जा सकता है। वर्तमान में सी–फार्म में त्रुटि होने पर इसमें सुधार 6 माह के भीतर तथा एफ–फार्म में त्रुटि होने पर एक माह के भीतर संशोधन किये जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सेल्स टेक्स बार कौंसिल द्वारा सी तथा एफ दोनो प्रकार के सांविधिक फार्म में संशोधन की समय–सीमा 6 माह निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2009–10 के सांविधिक फार्म सी एवं एफ जारी किये जाने की समय–सीमा दिनांक 30.04.2015 तथा इसके पश्चात्वर्ती वर्षो के लिये संबंधित वर्ष के कर निर्धारण की कालावरोधित होने की अंतिम तिथि, निर्धारित की जाती है।

इसी प्रकार सांविधिक फार्मो में त्रुटि होने पर संशोधित सांविधिक फार्म सी तथा एफ हेतु जारी किये जाने की समय–सीमा 6 माह निर्धारित की जाती है।

(अमित अग्रवाल)
आयुक्त
वाणिज्यिक कर छत्तीसगढ

कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / वाकआ / कम्प्यूटर / 2015 / 9622 रायपुर, दिनांक : 05-12-15

प्रति,

समस्त अपर आयुक्त
समस्त उपायुक्त
समस्त सहायक उपायुक्त
समस्त वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर (छत्तीसगढ़)

विषयः– वर्ष 2014–15 तक के ऑनलाईन सांविधिक फार्म प्राप्त करने की समय सीमा।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक वा.क.आ / सांख्यिकी / वाचक / 2014 / फ रायपुर, दिनांक 07.03.2015

——00——

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वर्ष 2009–10 के सांविधिक फार्म–सी एवं फार्म–एफ जारी किये जाने की समय–सीमा दिनांक 30.04.2015 तथा इसके पश्चात्वर्ती वर्षो के लिए संबंधित वर्ष के कर निर्धारण की कालावरोधित होने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी।

Central Sales Tax (R&T) Rules 1957 के नियम 12(7) के अनुसार सी–फार्म, एफ–फार्म, ई–1 तथा ई–2 प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा त्रैमास समाप्ति के तीन माह तक है। उपरोक्त नियम में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2014–15 एवं उससे पूर्व की अवधि से संबंधित सी–फार्म / एफ–फार्म दिनांक 31.12.2015 तक एवं फार्म ई–1 / ई–2 दिनांक 31.03.2016 तक जारी किये जायेंगे।

अतः सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों से सेल्स टैक्स बार काउंसिल को भी अवगत कराया जाए।

आयुक्त
वाणिज्यिक कर
छत्तीसगढ़, रायपुर